न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 01/20 दायर दिनांकः 03.01.2020

जीसीएमएस नं. 2020/00001

1 बृजेश 2 थानसिंह 3 केशव पुत्रान ज्ञानसिंह जातियान धोबी नि. बाछरैन तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——वादीगण

बनाम

1 भगवानदेई वेबा रोशन लाल जाति धोबी नि. बाछरैन तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रति. असल

2 मूलचन्द 3 रामदयाल 4 रोशन पुत्रान किशोरी जातियान धोबी नि. बाछरैन तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रति. तरतीवी

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता— 1.श्री रामेश्वर दयाल शर्मा ——वादीगण

2.श्री राजेन्द्र सैनी ——प्रति.सं. 1

निर्णय दिनांक 11.12.2024

वकील वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1568 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, 1666 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, 1667 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये ख.नं. 2284 रकबा 0.01, 2285 रकबा 1.11, 2434 रकबा 0.48, 2435 रकबा 0.01, 2436 रकबा 0.47 हैक्टे. वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर में स्थित है। जिसके वादीगण 1/4 हिस्से के वाहिस्सा बराबर रूप में खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है, शेष 3/4 भाग के तरतीवी प्रतिवादीगण है। सैटलमेन्ट के बाद नये ख.नं. बनाये गये जिनका इन्द्राज जमाबन्दी में आ चुका है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण की दादी प्रतिवादीनी के नाम चल रही है। जबकि इस पर वो काफी समय पूर्व से वादीगण ही वाहिस्सा बराबर के रूप में काश्त कर रहे है तथा मौके पर काविज है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 सहखातेदार होने के कारण फरीक मुकदमा बनाये गये है, जिनके खिलाफ कोई दादरसी नहीं चाही गई है।

अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीनी असल के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीनी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा श्री राजेन्द्र सैनी एड. द्वारा पेश किया तथा पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया गया एवं वादीगण अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाही गई है।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत जवाब दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भाँति अध्ययन किया गया एवं प्रस्तुत राजीनामा

दिनांक 24.08.2022 के मुताबिक वादीगण की पहचान श्री रामेश्वर दयाल शर्मा एड. द्वारा की गई व प्रतिवादीनी की पहचान श्री राजेन्द्र सैनी एड. द्वारा की गई।

अतः दावा वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा आ. ख.नं. 1568 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, 1666 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, 1667 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये ख.नं. 2284 रकबा 0.01, 2285 रकबा 1.11, 2434 रकबा 0.48, 2435 रकबा 0.01, 2436 रकबा 0.47 हैक्टे. वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर में वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 भगवानदेई के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाता है।

अतः तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)